फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(रा

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री गणेशराम पुत्र गलबाजी जाति पुरोहीत नि. चडूआल तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 41/2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28–01–25	(see below)	

28–01–25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री रमेश कुमार माली व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/विधि/2025/26 दिनांक 10–01–2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा चडूआल के वर्तमान जमाबंदी 2070–2073 के खाता संख्या 35, 48 व 49 तथा मौजा फाचरीया के वर्तमान जमाबंदी 2072–2075 के खाता संख्या 42, 43, 74, 92, 133 के अनुसार प्रार्थी श्री गणेशराम पुत्र गलबाजी की खातेदारी भूमि है। उपरोक्त खातों में प्रार्थी का नाम गणेश पुत्र गलबा व गणेशाराम पुत्र गलबाजी का इन्द्राज हुआ है, जो गलत व असम्मानजनक इन्द्राज हुआ है। ग्राम चडूआल की खातेदारी में प्रार्थी के असम्मानजनक नाम की दोहरी प्रविष्टि है, जिसमें एक नाम पैतृक खातेदारी का तथा दुसरा खरीद शुद्वा भूमि के कारण दोहरा नाम खाते में दर्ज हो गया। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व प्रार्थी के दस्तावेजों प्रार्थी का नाम भिन्न–भिन्न अंकित होने से हो रही परेशानी को दूर करने हेतु प्रार्थी का सही व सम्मानजनक नाम गणेशराम पुत्र गलबाजी दर्ज किया जाना उचित रहेगा साथ ही दोहरी प्रविष्टि को एक किया जाना उचित रहेगा। दोहरी प्रविष्टि वाले खातों की एकीकरण के बाद सही स्थिति निम्न प्रकार रहेगी–

ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि	प्रस्तावित शुद्वि
चडूआल	35	गणेश पुत्र गलबा 1/6 + गणेश पुत्र गलबा 1/18	गणेशराम पुत्र गलबाजी 2/9 हिस्सा
	48	गणेश पुत्र गलबा 1/6 + गणेश पुत्र गलबा 1/2	गणेशराम पुत्र गलबाजी 2/3 हिस्सा
	49	गणेश पुत्र गलबा 1/4 + गणेश पुत्र गलबा 1/6	गणेशराम पुत्र गलबाजी 5/12 हिस्सा

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व मौतबिरानों से पुछताछ के अनुसार मौजा चडूआल व फाचरीया की वर्तमान जमाबंदी की उपरोक्त वर्णित आराजी में दर्ज गलत एवं असम्मानजनक नामों को शुद्ध एवं " गणेशराम पुत्र गलबाजी " दर्ज किया जाना उचित है ... का एकीकरण किया जाना भी उचित

हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया ।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है मौजा चडूआल के वर्तमान जमाबंदी 2070–2073 के खाता संख्या 35, 48 व 49 में प्रार्थी गलत व असम्मानजनक नाम व दोहरी प्रविष्टि का एकीकरण निम्नानुसार करें

ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि	प्रस्तावित शुद्वि
चडूआल	35	गणेश पुत्र गलबा 1/6 + गणेश पुत्र गलबा 1/18	गणेशराम पुत्र गलबाजी 2/9 हिस्सा
	48	गणेश पुत्र गलबा 1/6 + गणेश पुत्र गलबा 1/2	गणेशराम पुत्र गलबाजी 2/3 हिस्सा
	49	गणेश पुत्र गलबा 1/4 + गणेश पुत्र गलबा 1/6	गणेशराम पुत्र गलबाजी 5/12 हिस्सा

एवं मौजा फाचरीया के वर्तमान जमाबंदी 2072–2075 के खाता संख्या 42, 43, 74, 92, 133 में प्रार्थी गलत व अस्मानजनक नाम गणेश पुत्र गलबा व गणेशाराम पुत्र गलबा को शुद्व कर सही व सम्मानजनक नाम श्री गणेशराम पुत्र गलबाजी कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

कार्यालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर ★ सिरोही (राज०)